



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042021-226384
CG-DL-E-06042021-226384

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1340]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 6, 2021/चैत्र 16, 1943

No. 1340]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 6, 2021/CHAITRA 16, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

का.आ. 1451(अ).—केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 19, अक्टूबर 2020 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3665(अ) तारीख 14, अक्टूबर 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, उत्तर प्रदेश राज्य के चन्दौली जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान में तारीख 07 नवम्बर, 2020 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया, तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और, यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेलवे परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए चन्दौली जिले के अन्दर संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र. सं.	तहसील	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	गाटा सं०	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हे०)	भू-स्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पं० दी०द०उ० नगर	पटपरा	निजी	कृषि	654	0.0590	लक्ष्मन पुत्र बल्ली।
2		धरना	निजी	कृषि	710	0.0090	विसमिल्ला पुत्र सुलेमान, मु० एजाज पुत्र सुबाष, जुवेदा बीबी पत्नी सुबाष।
3			निजी	कृषि	929	0.0042	नामवर पुत्र बचाऊ।
4			निजी	कृषि	952	0.0309	कन्हैया व मदन पुत्रगण जीता यादव, गुलाब चन्द्र व अमित कुमार पुत्रगण मारकण्डे, चम्पा देवी पत्नी मारकण्डे।
5			निजी	कृषि	954	0.0387	बालकरन पुत्र रामनाथ, पारसनाथ व कैलाशनाथ व अनिल कुमार, अरविन्द कुमार व राजू पुत्रगण श्यामनरायन, सत्यनरायन पुत्र मीरा, जमुस्ता देवी पत्नी राजेन्द्र, रामनरेश पुत्र दुखरन, अशोक व संदीप पुत्रगण छोटेलाल, दुर्गा देवी पत्नी छोटेलाल, अमित कुमार व शिवचरन पुत्रगण रामदुलारे, रीता देवी पत्नी रामदुलारे, राजकुमार पुत्र रामजी, मानवेन्द्र कुमार पुत्र सूर्यदेव प्रसाद, संदीप कुमार पुत्र सतीश कुमार, हरिहर व दीना पुत्रगण मारकण्डे।
6	पं० दी०द०उ० नगर	जफरपुर	निजी	कृषि	14	0.0031	श्यामधार व शिवपूजन व सज्जन व केशव व लालवरत पुत्रगण केदार।
7			निजी	कृषि	17	0.0225	खरपत्तू पुत्र झूरी, सोमारू व मुन्ना व श्यामसुन्दर व टुनटुन उर्फ कृष्ण कुमार पुत्रगण रामरूप, दुर्गावती

क्र. सं.	तहसील	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	गाटा सं०	अधिग्रहीत क्षेत्रफल (हे०)	भू-स्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
							देवी पत्नी रामरूप।
8			निजी	कृषि	26	0.0140	शिवनाथ पुत्र जवाहिर, सामू पुत्र मेवालाल, सीताराम व दिलीप कुमार सोनकर पुत्रगण शिवनाथ।
9			निजी	कृषि	29	0.0429	हृदयनरायन पुत्र वटुक, विश्वजीत सिंह व अभिजीत सिंह नाबा० पुत्रगण हृदयनरायन सिंह।
10			निजी	कृषि	36	0.0311	अगनू पुत्र धूरा।
11			निजी	कृषि	46	0.0084	रामवृक्ष व रामानन्द व रामदीन व रामानन्द उर्फ रामशकल पुत्रगण सुदामा।
12			निजी	कृषि	48	0.0216	कन्हैया पुत्र मथुरा, शिवनाथ पुत्र जवाहिर।
13			निजी	कृषि	49	0.0009	लालचन्द पुत्र भृगु, विकास पुत्र सेवा, प्रभावती देवी पत्नी सेवा, प्रेम व अवधेश व बृजेश व मनोज कुमार पुत्रगण मेवा, श्रीमती बारमती देवी पत्नी मेंवा, विहारी व प्रमोद व विनोद पुत्रगण बद्री, श्रीमती सुदामा देवी पत्नी बद्री।
14			निजी	कृषि	50	0.0303	विसमिल्ला पुत्र सुलेमान, मु० एजाज पुत्र सुबाष, श्रीमती जुबेदा बीबी पत्नी सुबाष।

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2135]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु. और स्टै.वि.)

MINISTRY OF RAILWAY**(Railway Board)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2021

S.O. 1451(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 3665 (E), dated the 14th October 2020, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th October 2020 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance,

management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Chandauli in the State of Uttar Pradesh;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Dainik Jagran and Hindustan, dated the 7th November, 2020 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections have been received and the same has been considered by the competent authority accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Chandauli in the State of Uttar Pradesh.

Sr. No.	Tahsil	Village	Type of Land	Nature of Land	Gata no.	Acquired Area (in Ha.)	Name of Related persons/Land Owners
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pandit Deen Dayal Upadhyay Nagar	Patpara	Private	Agriculture	654	0.0590	Lakshman S/o Balli.
2		Dharna	Private	Agriculture	710	0.0090	Vismilla S/O Suleman, Md. Ajaj S/O Subash, Juveda Bibi W/O Subash.
3			Private	Agriculture	929	0.0042	Namwar S/O Bachau.
4			Private	Agriculture	952	0.0309	Kanhaiya and Madan S/O Jeeta Yadav, Gulab Chandra and Amit Kumar S/O Markande, Champa Devi W/O Markande.
5			Private	Agriculture	954	0.0387	Balkaran S/O Ramnath, Paras Nath and Kailash Nath and Anil Kumar and Arvind Kumar and Raju S/O Shyamnarayan, Satyanarayan S/O Meera, Jamurta Devi W/O Rajendra, Ramnaresh S/O Dukharan, Ashok and Sandeep S/O Chhotelal, Durga Devi W/O Chhotelal, Amit Kumar and Shivcharan S/O Ramdulare, Reeta Devi W/O Ramdulare, Raj Kumar S/O Ramji, Manwendra Kumar

Sr. No.	Tahsil	Village	Type of Land	Nature of Land	Gata no.	Acquired Area (in Ha.)	Name of Related persons/Land Owners
1	2	3	4	5	6	7	8
							S/O Suryadev Prasad, Sandeep Kumar S/O Satish Kumar, Harihar and Deena S/O Markande.
6	Pandit Deen Dayal Upadhyay Nagar	Jafarpur	Private	Agriculture	14	0.0031	Shyamdhara and Shivpujan and Sajjan and Keshaw and Lalvarat S/O Kedar.
7			Private	Agriculture	17	0.0225	Kharpattu S/O Jhuri, Somaru & Munna & Shyam Sundar and Tuntun alias Krishn Kumar S/O Ramroop, Durgawati Devi W/O Ramroop.
8			Private	Agriculture	26	0.0140	Shivnath S/O Jawahir, Samu S/O Mewalal, Sita Ram & Dilip Kumar Sonkar S/O Shivnath.
9			Private	Agriculture	29	0.0429	Hriday Narayan S/O Vatook, Vishwjeet Singh and Abhijeet Singh (Nabalik) S/O Hriday Narayan.
10			Private	Agriculture	36	0.0311	Aganoo S/O Dhoora.
11			Private	Agriculture	46	0.0084	Ramvriksh and Ramanand and Ramdeen and Ramanand alias Ramshakal S/O Sudama.
12			Private	Agriculture	48	0.0216	Kanhaiya S/O Mathura, Shivnath S/O Jawahir.
13			Private	Agriculture	49	0.0009	LalChand S/O Bhrigu, Vikash S/O Sewa, Prabhawati Devi W/O Sewa, Prem and Awadesh and Brijesh & Manoj Kumar S/O Mewa, Smt. Barmati Devi W/O Mewa, Bihari and Pramod and Vinod S/O Badri, Smt. Sudama Devi W/O Badri.
14			Private	Agriculture	50	0.0303	Vismilla S/O Suleman, Md. Ajaj S/O Subash, Juveda Bibi W/O Subash.

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2135]

A. K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)